



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

21 सितंबर 2023

**भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने वाले मानदंडों के परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने वाले मानदंडों के परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023 जारी किया। ये निदेश पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात् एक्विजम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी पर लागू होंगे।

निदेशों का मसौदा [22 अक्टूबर 2021](#) को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए अंतिम निदेश आज जारी किए जा रहे हैं। ये निदेश विलंबतम दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/959

(श्वेता शर्मा)

उप महाप्रबंधक